बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आदेश सं० –15/खा०–24–05/2019 – ..../स्वा० पटना/दिनांक ....

श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन खाद्य संरक्षा अधिकारी, नालदा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अग्रवाल स्वीट्स, नालंदा से छापेमारी के दौरान 1500 (पन्द्रह सौ) रुपये रिश्वत लेने संबंधी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होने तथा तत्संबंधी सी०सी०टी०वी० फुटेज सोशल मिडिया पर वायरल होने संबंधी घटना की जॉच जिला पदाधिकारी, नालंदा के आदेश ज्ञापांक – 511/गो०, दिनांक –22.01.2019 द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया गया।

समिति के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, नालदा के आदेश ज्ञापांक – 563/गो०, दिनांक – 23.01.2019 से प्राप्त निदेश के आलोक में सिविल सर्जन, नालंदा द्वारा अपने पत्रांक – 265, दिनांक – 24.01.2019 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहारशरीफ थाना में थाना काण्ड संख्या – 47/19, दिनाक – 24.01.2019 दर्ज किया गया। तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक – 2081, दिनांक – 20.06.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र –"क" का गठन कर, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त प्रपत्र–क के आलोक में स्पष्टीकरण/बचाव ब्यान समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक – 114(15), दिनांक – 27.01.2020 द्वारा श्री कुमार को निदेशित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण/बचाव ब्यान की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी एवं सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार को भविष्य में अपने कर्तव्यो के निर्वहन म सतर्कता बरतने के निदेश के साथ तत्काल प्रपत्र – क को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक – 3662(विधि), दिनांक – 26.09.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहारशरीफ थाना में दर्ज थाना काण्ड सख्या – 47/2019, दिनाक – 24.01.2019 में भा०द०वि० की धारा – 419/420 एवं भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा 7/10/13(02) के अंतर्गत अभियोजन चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति की मॉग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरापो की जॉच हेतु जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा गठित त्रि–सदस्यीय समिति के जॉच प्रतिवेदन, थाना काड दैनिकी में अंकित साक्षियों के बयान एव काड से सबंधित अभिलेखो/दस्तावेजों की समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन अस्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम–53(1) के तहत अभियोजन अस्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु विधि विभाग से अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक – 278/जे०, दिनांक – 23.11.2024 द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ थाना में दर्ज थाना काड संख्या–47/2019 दिनांक–24.01.2019 के प्राथमिक अभियुक्त श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन खाद्य सरक्षा अधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा–419, 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा – 7/10/13(2) के अंतर्गत दड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–19 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की अस्वीकृति का आदेश निर्गत किया गया एव तत्संबंधी सूचना से विभागीय पत्रांक – 450(15) खाद्य, दिनांक–16.12.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, नालंदा को संसूचित किया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन खाद्य सरक्षा अधिकारी, नालंदा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप (प्रपत्र–क) के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही, जिसे तत्समय स्थगित रखेन का निर्णय लिया गया था, पर सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप (प्रपत्र–क) को समाप्त करते हुए प्रस्तुत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

ह०/–
(कृष्णा उरॉव)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 193(15) पटना/दिनांक – 07/02/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रलिलिपि : जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/सिविल सर्जन, नालंदा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन खाद्य संरक्षा अधिकारी, नालदा सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/02/25
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।